

संख्या

1376

पत्रावली सं०-1

के-34856 दिनांक

04-8-2005



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 573-2005-2006

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि माँ सारदा शिक्षण

इंस्टीट्यूट एवं समाजिक सेवा समिति

127-

काजी खेड़ा हरदोई जिला मन्सूरगढ़

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 31-7-2010

तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक

अगस्त

वो हजार

पान्च

को

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।